राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक :– प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015 जयपुर, दिनांक :– 10 MAY 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में इन्दिरा गॉधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों की बैठक का आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परि.–"1" पर अवलोकनीय है :–

सभी मुख्य कार्यकारियों अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं बैठक के दौरान निम्न निर्देश दिए गए:–

- ग्रामीण विकास की योजनाओं में आवंटित बजट का 50 प्रतिशत से कम व्यय होना गंभीर विषय है, सभी जिले इस ओर ध्यान दें, आगामी तीन माह में अवशेष राशि का शत प्रतिशत व्यय करें।
- वितीय वर्ष 2017–18 में 50174 स्वीकृत कार्यों में से 20498 कार्य ही पूर्ण हुऐ। प्रगतिरत 22104 कार्य आगामी तीन महीने में पूर्ण कराये जावें, 4950 कार्य अप्रारंभ है, इन्हें प्रारम्भ कर पूर्ण करने की कार्यवाही की जाए।
- 350 करोड रूपये की यूसी/सीसी का समायोजन बकाया है। समस्त अग्रिम राशि के समायोजन की कार्यवाही की जाए।
- नवीन वितीय वर्ष की प्रथम तिमाही में लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमे सें 1217 करोड रूपये अवशेष राशि का शत प्रतिशत व्यय, 22104 प्रगतिरत कार्य पूर्ण करना, 350 करोड रूपये बकाया यूसी/सीसी के समायोजन की कार्यवाही की जाए। प्रत्येक माह एक तिहाई प्रगति प्रत्येक जिला आवश्यक रूप से अर्जित करेगा। इस कार्य योजना अनुसार जिन जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जाए, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।
- पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायतों/पंचायत समितियों का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाए। इसकी मासिक समीक्षा पंचायती राज द्वारा की जाए एवं रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जाए।
- मा0 मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि गत वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में निरस्त किये गये कार्यो के स्थान पर नये कार्य स्वीकृत कर उपलब्ध राशि का उपयोग करना सुनिश्चित करे।
- बैठक में अनुपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकानेर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहें इसका स्पष्टीकरण लिया जाए।
- मा0 मंत्री महोदय ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं में उपलब्ध बजट के विरूद्ध स्वीकृतियां जारी नहीं करने को गम्भीरता से लिया, जिसमें मॉनिटरिंग के अभाव में उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया,